

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ-1-125/2012/सात-4,
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 19/08/2013

आयुक्त,
भू-अभिलेख
छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय:-

राजस्व निरीक्षकों के स्टेशनरी भत्ते में वृद्धि करने बाबत ।

संदर्भ:-


मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-14-11/
93/सात/शाखा-5, दिनांक 12-01-1998/31-01-1998 ।

---00---

राज्य शासन द्वारा प्रत्येक राजस्व निरीक्षक को रुपये 50/- केवल प्रतिमाह की दर से स्टेशनरी भत्ता स्वीकृत किया गया था । अब समस्त राजस्व निरीक्षकों को राज्य शासन द्वारा संशोधन करते हुए रुपये 50/- के स्थान पर रुपये 200/- की दर से स्टेशनरी भत्ता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. स्टेशनरी भत्ते में उक्त वृद्धि इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे ।
3. प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा यू. ओ. क्रमांक 236/एफ-2013-07-00031/वित्त/
नियम/चार/2013, दिनांक 12/07/2013 से सहमति प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(वायपीओ दुपारे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 19/08/2013

पृ. क्रमांक एफ-1-125/2012/सात-4,
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर.
3. समस्त संभागायुक्त, छ.ग. रायपुर
4. समस्त कलेक्टर, छ.ग.



1/2/1